पंचदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04

बुधवार, दिनांक-19 फरवरी, 2014 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.15 बजे पूर्वाह्न् तक ।

"सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही भाजपा के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों को लेकर सीट से खड़े होकर नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए और लगातार नारेबाजी करते रहे । आसन द्वारा उनसे बार-बार अनुरोध किया गया कि वे शांत रहें और जो भी बात कहनी है उसे अपनी सीट पर जाकर कहें । परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।"

स्थगनोपरांत

12.30 बजे अप० से 12.45 बजे अप० तक

[1] कार्यस्थगन की सूचना :-

आज दिनांक 19.02.2014 के लिए प्राप्त दो कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किए जाने की घोषणा आसन से की गई ।

[2] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री दिनेश कुमार सिंह
(ii) श्री दुर्गा प्रसाद सिंह
(iii) श्री रामसेवक सिंह
(iv) श्री प्रदीप कुमार
(v) श्री राजेश्वर राज
(vi) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
(vii) श्री विनोद प्रसाद यादव
(viii) डा० दाउद अली
(ix) डा० इजहार अहमद

[3] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

(i) माननीय सदस्य श्री दिनकर राम एवं अन्य सभासदों से प्राप्त आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण की सूचना अपृष्ठ हुआ ।

(ii) माननीय सदस्य डा० फैयाज अहमद एवं अन्य सभासदों से प्राप्त ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए समय लिया गया ।

[4] **समितियों का गठन :-**

माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2014-15 के लिए गठन से संबंधित प्रस्ताव तथा इन समितियों में बिहार विधान परिषद् से क्रमश: चार, तीन एवं छ: सदस्यों को मनोनीत करने संबंधित प्रस्ताव बारी-बारी से सदन में प्रस्तुत किया गया जिस पर सदन की सहमति हुई ।

[5] **सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-**

(i) माननीय सभापति लोक लेखा समिति श्री ललित कुमार यादव द्वारा समिति का 518, 519, 520, 525, 526, 527 एवं 529वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 2.00 बजे अप० से 5.15 बजे अप० तक ।

[6] **वित्तीय कार्य :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) पर वाद-विवाद तथा मतदान :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री श्याम रजक द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विक्रम कुँवर द्वारा अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

अनुदान की मांग एवं कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) डा० उषा सिन्हा
(ii) श्री दुर्गा प्रसाद सिंह
(iii) मो० अफाक आलम
(iv) श्री पवन कुमार जायसवाल
(v) श्रीमती ज्योति रश्मि
(vi) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(vii) डॉ० अरूण कुमार
(viii) डॉ० अच्युतानन्द
(ix) श्री प्रदीप कुमार
(x) श्री रामाधार सिंह
(xi) श्री रत्नेश सादा

माननीय प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री श्याम रजक द्वारा वाद-विवाद का सरकार की ओर से उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए । कुछ समय पश्चात् राजद के माननीय सदस्यगण भी उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गए ।

सदन द्वारा माननीय सदस्य श्री विक्रम कुँवर का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तदुपरांत वर्ष 2013-14 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगें बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ ।

[7] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय (वित्तीय) विधेयक</u> :-

<u>''बिहार विनियोग विधेयक, 2014''</u>

माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[8] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 20 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएँगे ।

[9] दिनांक 18.02.2014 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सदन पटल पर रखे गये पुलिस महानिरीक्षक (अप०) अनुसंधान विभाग का जाँच प्रतिवेदन संलग्न ।

तदुपरांत सभा की बैठक वृहस्पतिवार दिनांक 20 फरवरी 2014 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-19.02.2014

फूल झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।